न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 88/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
प्रताप पुत्र मूला के का0मु0 कमलकिशोर पुत्र प्रताप जाति कुम्हार निवासी पाटवा तहसील जैतारण		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री श्यामसिंह सोलंकी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से उप0

–: निर्णय :–

दिनांक : 18.12.17

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 250/2012 सरकार बनाम प्रताप में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि ग्राम पाटवा के खसरा नमबर 635 रकबा 232 वर्गमीटर भूमि पर मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने के कारण भू उपयोग परिवर्तन मानते हुए अपीलाण्ट/अप्रार्थी को उक्त भूमि के कब्जे से बेदखल करने की प्रार्थना की गई। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं रेकर्ड का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया तथा भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग लिए जाने के कारण खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये। अपीलाण्ट आज भी वादस्थ आराजीयात में बिना किसी विवाद के काश्त कर रहा है तथा वादस्थ भूमि को कृषि हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। इस कार्यवाही से पूर्व तहसीलदार द्वारा जी0टी0एल0 कम्पनी को नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब कम्पनी ने दिया था तथा विभागीय परिपत्र अनुसार सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विकास हेतु किसी भूमि में मोबाईल टॉवर स्थापित करते हुए सम्बन्धित भूमि को भू .रूपान्तरण से मुक्त रखा गया है। उक्त 200 गज भूमि के करार कम्पनी के साथ हो रखे है, इस प्रकार इस भूमि का अधिकार कम्पनी का होता है, जिसे प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। धारा 177 की कार्यवाही करने से पूर्व धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रमाणित–प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

179 की कार्यवाही करना आवश्यक था, जो नहीं की गई। अपीलाण्ट को रूपान्तरण करवाने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जिसे निरस्त किया जावे। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त प्रावधानों को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। लिहाजा अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में बिना विधिक रूपान्तरण करवाये, कृषि भूमि पर मोबाईल टॉवर स्थापित कर व्यावसायिक उपयोग में लेने के कारण तहसीलदार जैतारण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील प्रकरण प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया, तो स्वयं अपीलाण्ट से तामील हुआ है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नही हुआ। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलाण्ट के पिता प्रताप पुत्र मूला द्वारा अपनी खातेदारी भूमि गौजा पाटवा के खसरा नमबर 635 रकबा 6.05 बीघा किस्म बारानी दोयम में से 232 वर्गमीटर भूमि पर मोबाईल टॉवर स्थापित कर व्यावसायिक उपयोग में लेने के कारण तहसीलदार जैतारण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए अपीलाण्ट के पिता को नोटिस जारी किया, जो बाद तामील पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलाण्ट बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने के कारण अपील़ाण्ट के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में अहितकर कार्य या शर्त भंग के लिये बेदखल किये जाने के प्रावधान है। इस धारा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने एवं अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर किसी प्रकार का प्रतिकार नही करने की दशा में न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित कर आसामी को बेदखल किया जा सकता है तथा यदि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का विरोध किया जाता है, तो प्रकरण को वाद में परिणित किया जाकर उनमें उसी प्रकार की कार्यवाही की जावेगी, जैसा कि एक नियमित वाद में की जाती है, यथा तनकीयात कायम करना, उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी/अपीलाण्ट बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय के समक्ष अदालतन अथवा वकालतन उपस्थित नहीं हुआ, इस कारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जैतारण द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, वह निर्विवादित रूप से विधि अनुसार निर्णय पारित करने योग्य था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रमाणित-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 250/2012 सरकार बनाम प्रताप में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2015 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

प्रमाणित-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली